

राजस्थान सरकार  
स्वायत शासन विभाग, राज० जयपुर

क्रमांक प 10(न पा.) (गठन) (कमोन्नत) (ब.धो.) डीएलवी 24/२४६।


दिनांक : ०२ - ०९ - २०२५

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 329 सपष्टित धारा 337 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एवं क्षेत्र के बढ़ते हुए आधोगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए, विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2428 दिनांक 17/07/2023 के द्वारा निर्धारित मानकों में शिथिलन देते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा नगर पालिका लालसोट (जिला - दौसा) को चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका से नगर परिषद में कमोन्नत किया जाता है। यह अधिसूचना तुरन्त प्रभाव से प्रभावशील होगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(सुरेश कुमार ओला)  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक प.10(न.पा.) (गठन) (कमोन्नत) (ब.धो.) डीएलवी 24/२४६। दिनांक : ०२ - ०९ - २०२५

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रोष्ठित है --

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री / मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महोदय स्वायत शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग शासन सचिवालय राज. जयपुर को अतिरिक्त पद एवं व्ययभार स्वीकृति हेतु।
4. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, शासन सचिवालय राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत शासन विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं परायती राज विभाग जयपुर।
7. निदेशक, जनगणना विभाग, झालाना डूगरी राज जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राज जयपुर।
9. संभागीय आयुक्त जयपुर एवं जिला कलेक्टर दौसा राजस्थान।
10. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग राज. जयपुर।
11. निदेशक / अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 10 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु।
12. वित्तीय सलाहकार / मुख्य लेखाधिकारी निदेशालय को भेजकर निवेदन है कि उक्त नगरीय निकाय में अतिरिक्त पद एवं व्ययभार हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही कराने का श्रम करावे।
13. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय स्वायत शासन विभाग, राज. जयपुर।
14. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
15. आयुक्त / अधिशासी अधिकारी नगरीय निकाय लालसोट जिला दौसा को भेजकर लेख है कि अविलम्ब / अतिरिक्त पद एवं व्ययभार हेतु वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त होने पर ही प्रभावी / मान्य होगा। अतः वित्तीय सलाहकार निदेशालय को आवश्यक प्रस्ताव भेजवावे ताकि वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त की जा सके।
16. उपनिदेशक (साथियकी), निदेशालय को मुख्यमंत्री महोदय, के द्वारा बजट घोषणा की अनुपालना में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु।
17. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
18. सुरक्षित पत्रावली।

  
(लेखराज जाग्रत)  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी